न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 62/2017 ::

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड (यूनिट पाली सीमेन्ट वर्क्स) जरिये सर्वाधिकारी (अधिकृत प्रतिनिधि) आम मुख्तयार श्री वरिन्दरसिंह सैनी पुत्र श्री सरदार मोहनसिंह जाति सैनी निवासी फ्लेट नम्बर 10, बी–13/1, 278 अरोड़ा कॉम्पलेक्स, कच्चा टोब्बा, आर्य समाज रोड़, होशियारपुर, पंजाब हाल आबाद ब्यावर, पदेन डिप्टी जनरल मैनेजर अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड		राज्य सरकार जरिए तहसीलदार भूमिधारी जैतारण।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से एडवोकेट श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी
रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 02.01.2018

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, जैतारण के न्यायालय के प्रकरण संख्या 29/2015 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बअनवान सरकार बनाम मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड आदेश दिनांक 19.11.2015 के विरुद्ध पेश की। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि पटवारी हल्का बलाड़ा द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया कि अपीलाण्ट द्वारा ग्राम बलाडा के खसरा नम्बर 1260 रकबा 2 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, इस पर नायब तहसीलदार जैतारण द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर जैर अपील आदेश पारित किया गया। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है, बल्कि अपीलाण्ट अपनी खरीदसुदा भूमि पर ही काबिज है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई पैमाईस किए जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किये थे, उन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया एवं मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया। अपीलाधीन भूमि बाले की भूमि नही है तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया। इस न्यायालय द्वारा सीमांकन के आदेश पारित करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन किया गया तथा जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण बताया गया, जिसे अपीलाण्ट द्वारा हटाया जा चुका है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण नहीं होने के कारण जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा ग्राम बलाडा के खसरा नम्बर 1260 रकबा 2 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर कब्जा था,

क्रमश..........2

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

जिसे अपीलाण्ट द्वारा हाल ही में हटाया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं होने से अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट के विरूद्ध ग्राम बलाडा के खसरा संख्या 1260 रकबा 2 बीघा किस्म गै0मु0 बाला की भूमि पर संवत 2072 में अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश दिनांक 19.11.2015 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने जवाब प्रस्तुत किया तथा साक्ष्य हेतु अवसर चाहने जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पर्याप्त अवसर दिये गये, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। अपीलाण्ट का मुख्य कथन यह रहा कि उनके द्वारा खसरा नम्बर 1260 की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट के निवेदन पर दिनांक 08.11.2016 को जैर अपील वादस्थ भूमि का सीमांकन करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश को पालना में तहसीलदार जैतारण द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके अनुसार जैर अपील वादस्थ भूमि का सीमांकन करने पर यह प्रकट हुआ कि उक्त भूमि पर अपीलाण्ट काबिज था, जिसका अतिक्रमण हटाया जा चुका है एवं जैर अपील वादस्थ भूमि पर वर्तमान में अपीलाण्ट का अतिक्रमण नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे दिनांक 26.10.2017 को हटाया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह विधिवत रूप से उचित है, चूंकि अपीलाण्ट द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटा दिया गया है, जिससे जुर्माना के आदेश को यथावत रखा जाता है एवं अपीलाण्ट को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में राजकीय भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें। यदि अपीलाण्ट द्वारा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रण किया जाता है, तो तहसीलदार जैतारण विधि अनुसार प्रभावी कार्यवाही करें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड पालनार्थ भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2018 को मेरें द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)